व्यापार सुधारों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी

लखनऊ। केंद्र सरकार के डी-रेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। व्यापार सुधारों से जुड़े सभी 23 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूर्ण रूप से लागू कर उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल नीतियों का मॉडल बनकर उभरा है।

भारत सरकार द्वारा चिह्नित व्यापार सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन में यूपी ने अग्रणी प्रदर्शन किया है। डी-रेगुलेशन 1.0 के अंतर्गत भूमि, भवन एवं निर्माण, श्रम, यूटिलिटीज तथा विभिन्न अनुमतियों से जुड़े कुल 23 सुधार क्षेत्रों में यूपी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इन सभी सुधारों को समग्र रूप से लागू किया है। भूमि सुधारों के तहत फ्लेक्सिबल जोनिंग, डिजिटल लैंड यूज चेंज, जीआईएस आधारित लैंड बैंक तथा आईआईएलबी से एकीकरण जैसे कदम उठाए गए हैं। भवन एवं निर्माण क्षेत्र में ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली, तृतीय पक्ष निरीक्षण और समयबद्ध प्रमाणपत्र व्यवस्था से प्रक्रियाओं को सरल और तेज किया गया है।

- श्रम सुधारों के अंतर्गत महिलाओं को रात्रिकालीन रोजगार की अनुमति, कार्य समय का युक्तिकरण, तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत अनुपालन सीमा में वृद्धि की गई है। वहीं पर्यावरणीय स्वीकृतियों में तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण, फैक्टरी एवं ट्रेड लाइसेंस की ऑनलाइन मंजूरी, बिजली-पानी कनेक्शन की एकीकृत डिजिटल व्यवस्था, और गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- उप्र सुगम्य व्यापार (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने और राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली को राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने के बाद प्रदेश की सुधार व्यवस्था और सशक्त हुई है। इन पहलों के चलते यूपी देश के सबसे भरोसेमंद और निवेश अनुकूल राज्यों में शामिल हो गया है। ब्यरो